भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
राज्य सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 1468
सोमवार, 9 दिसम्बर, 2024 (18 अग्रहायण, 1946 (शक)) को दिया जाने वाला उत्तर

ड्रोन द्वारा सामान पंहुचाने की अनुमति

1468 श्री एस. निरंजन रेड्डीः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ड्रोन से सामान पंहुचाने के लिए दृश्य रेखा से परे संचालन की अनुमति देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार एआई-संचालित ड्रोन से सामान पंहुचाने के लिए किसी नए विनियमन पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) भीड़भाड़ वाले शहरी स्थानों में ड्रोन से सामान पंहुचाने के लिए क्या सुरक्षा उपाय किए गए हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ड्रोन से सामान पंहुचाने के दौरान निजता सुनिश्चित करने और निगरानी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) और (ख): ड्रोन का बियोंड विज्वल लाइन ऑफ साइट (बीवीएलओएस) परिचालन का विकास विश्व भर में हो रहा है, और नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने विनियामक तंत्र तैयार करने के लिए एक कार्य दल की स्थापना की है।

(ग): मानवरहित विमानन का विकास विश्व भर में हो रहा है और विनियमों के विकास और राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में एआई-चालित ड्रोन के एकीकरण पर आम सहमति बनाने के लिए अन्य नागर विमानन विनियामक प्राधिकरणों द्वारा वैश्विक स्तर पर किए जा रहे विकास पर डीजीसीए बारीकी से नजर रख रहा है।

(घ): ड्रोन परिचालन के लिए निम्नलिखित सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं, जिनमें ड्रोन नियमावली, 2021 के अनुसार ड्रोन डिलीवरी भी शामिल है:

1. ड्रोन नियमावली, 2021 के अनुसार, प्रत्येक प्रकार के ड्रोन को दिनांक 26 जनवरी, 2022 को जारी किए गए मानव रहित विमान प्रणाली (यूएएस) हेतु प्रमाणन योजना के अनुसार प्रमाणित किया जाना है, जब तक कि छूट न दी गई हो (नैनो और आरएंडडी)।

2. टाइप प्रमाणन के लिए जियो-फेंसिंग अनिवार्य आवश्यकता है, जो एक निर्धारित हवाई क्षेत्र के भीतर यूएएस के संचलन को प्रतिबंधित करती है।

3. यूएएस के लिए प्रमाणन योजना के अनुसार, यूएएस के टाइप प्रमाणपत्र जारी करने का दायरा वर्तमान में बियोंड विज्वल लाइन ऑफ साइट (वीएलओएस) तक ही सीमित है।

4. संबंधित मंत्रालयों/एजेंसियों के सहयोग से ड्रोन परिचालन के लिए लो-लेवल हवाई क्षेत्र को लाल, पीले और हरे ज़ोनों के रूप में नामित करते हुए एक इंटरैक्टिव हवाई क्षेत्र मानचित्र उपलब्ध कराया गया है।

5. ग्रीन जोन में ड्रोन के परिचालन के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है। येलो जोन में, संबंधित हवाई यातायात नियंत्रण (एटीसी) प्राधिकरण की अनुमति आवश्यक है। रेड जोन के लिए नागर विमानन मंत्रालय और रेड ज़ोन का नियंत्रण कर रहे संबंधित मंत्रालयों/ विभागों/ एजेंसियों से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है।

6. प्रत्येक ड्रोन, चाहे उसका वजन या उपयोग कुछ भी हो, का पंजीकरण डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म नामक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म पर किया जाना आवश्यक है।

7. रिमोट पायलट (ड्रोन का परिचालन करने वाला व्यक्ति) से अपेक्षित है कि वह किसी भी डीजीसीए प्राधिकृत रिमोट पायलट प्रशिक्षण संगठन से प्रशिक्षण प्राप्त हो, परीक्षा उत्तीर्ण किया हो, और रिमोट पायलट प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो।

8. ड्रोन के सुरक्षित परिचालन की सभी ज़िम्मेदारियाँ ड्रोन पायलट की हैं।

9. नैनो ड्रोन और अनुसंधान और विकास उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले ड्रोन को छोड़कर सभी ड्रोन के लिए बीमा अनिवार्य है।

(ङ) ड्रोन डिलीवरी के दौरान निजता सुनिश्चित करने और निगरानी को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

1. यूएएस के लिए प्रमाणन योजना के तहत प्रमाणित सभी यूएएस टाइप में "फर्मवेयर" के साथ-साथ "हार्डवेयर" के लिए छेड़छाड़ से बचाव तंत्र शामिल होना चाहिए, ताकि ऑनबोर्ड कंप्यूटर को छेड़छाड़ (अनधिकृत प्रयोग) से बचाया जा सके। डीजीसीए द्वारा निगरानी संपरीक्षा के

माध्यम से विनिर्माता (टाइप प्रमाणन धारक) द्वारा इस संबंध में किया जाने वाला सतत अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है।

2. वर्तमान में, यूएएस का प्रचालन केवल वीएलओएस परिस्थितियों तक ही सीमित रखा गया है तथा सुरक्षित परिचालन की जिम्मेदारी प्रशिक्षित और प्रमाणित रिमोट पायलटों को सौंपी गई है।

3. रेड ज़ोन में ड्रोन परिचालन की अनुमति नहीं है, जब तक कि नागर विमानन मंत्रालय और संबंधित रेड जोन के स्वामी द्वारा विशेष रूप से अनुमति न दी गई हो। ड्रोन नियमावली, 2021 में रेड ज़ोन में अनधिकृत प्रवेश को संज्ञेय अपराध माना गया है।

*****